provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 from 1987 to 31.3.1998. 625 rehabilitation schemes were sanctioned for revival of the sick industrial companies registered with the Board. Out of this, 202 companies have gone out of the purview of the Board as they have been declared no longer sick on implementation of the scheme. The rehabilitation schemes sanctioned by BIFR include various measures like restructuring the capital, induction of fresh funds by the promoters, merger with other companies, change of management, provision for working capital and term loans by Banks and Financial Institutions. Reliefs and conessions by various parties also form part of the scheme.

(d) The assistance from National Renewal Fund is presently restricted to Voluntary Retirement Scheme in Central Public Sector Undertakings and to the schemes for counselling, retraining and redeployment of rationalised workers. In terms of information available, 6712 rationalised workers have been redeployed upto 31.3.1998.

सेवा-निवृत्ति/मृत्यु उपदान की सीमा में बढ़ोतरी

499. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ल:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत सेवा: निवृत्ति/मृत्यु उपदान की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस तिथि से लागू किया गया और इसके क्या आधार हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी उद्यमों/नियमों को भी यही लाभ समान रूप से देने का विचार रखती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया): (क) और (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डी सी आर जी) की अधिकतम सीमा पांचवें वेतन आयोग द्वारा अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में की गयी सिफारिश के अनुसार 1.4.1995 से 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये कर दी गई और 1.1.96 से इसे बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया गया।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम के उपबंध केवल कुछ सरकारी कर्मचारियों पर ही लागू हैं और इस प्रकार नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कर्मचारियों को इसका लाभ प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, सरकार ने अब उपदान संदाय आधिनियम 1972 में संशोधन करने का निर्णय लिया है ताकि 24.9.1997 से सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को संदेय उपदान की अधिकतम राशि की उच्चतम सीमा 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये की जा सके।

Wages in small scale industries

500. **SHRI ASHOK MITRA:** Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether time series of real wages are available for small scale industries in the country;

(b) whether similar data are available on the trends in growth of employment in such industries; and

(c) whether Government propose to enquire into the impact of the reforms introduced since 1991 on the level of living standard of workers engaged in cottage and small scale activities?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) Data in this regard is not maintained.

(b) Estimates of employment and its growth are as under:—

Year	Employment (in lakh No.)	Percentage growth over previous year.
1990-91	125.30	..
1991-92	129.80	3.28
1992-93	134.06	3.59
1993-94	139.38	3.97
1994-95	146.450	5.15
1995-96	152.61	4.13
1996-97 (Provisional)	160.00	4.84

(c) There is no proposal at present to undertake any specific enquiry/study in this regard.